

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक(का0)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश सं०:- 49/NG/2020/Engg/SPJ

मंडल रेल प्रबंधक (का0)/समस्तीपुर के ज्ञापन सं०:-का/239/ तृतीय श्रेणी /अनु/गो0/19, दिनांक 21.11.2019 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के आधार पर अभियंत्रण विभाग में ट्रैकमेन्टेनर -IV, वेतन लेवल-1 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाए गए हैं तथा जो वांछित चिकित्सा श्रेणी में सुयोग्य घोषित हैं, की नियुक्ति अस्थायी रूप से इनके नाम के सामने अंकित पद वेतन लेवल एवं कार्यस्थल पर की जाती है। इन्हें समय समय पर स्वीकार्य भत्ता नियमानुसार देय है तथा वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम सर्व श्री/स्व०	चिकित्सा श्रेणी/प्रमाण पत्र सं०/ दिनांक	जन्म तिथि	समुदाय	पद एवं पे लेवल	योग्यता	पदस्थापना/ स्टेशन	पदस्थापना पर वेतन निर्धारण
01	श्री राहुल कुमार पिता- श्री प्रमोद साफी	Fit in Aye one (A-1)without glasses vide Sr. DMO/SPJ's medical certificate No-.031580/19 Dt.19/23.07.2019	15.03.1995 (पन्द्रह मार्च उन्नीस सौ पनचानवे )	अजा0	ट्रैकमेन्टेनर -IV, वेतन लेवल-1	इंटरमीडिएट	Under ADEN /DBG-II	₹18000/- (लेवल-01)

मात्र एक नाम

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी है। इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी के साथ लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस, द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने या शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर या माता/पिता/पति पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्यों की देख रेख नहीं किये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

आवश्यकतानुसार इन्हे प्रादेशिक सैन्य सेवा ,रेलवे इंजिनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक प्रादेशिक सेवा में तीन वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी ,सैन्य सेवा करनी होगी। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से शासित होंगे।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।



(आर.आर.लकडा)  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
समस्तीपुर

दिनांक- 10 .01..2020

सं०:- का/227/V/अभि/नियुक्ति/2019/सम,  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमई/(समन्वय) सम0
2. वमविप्र/सम0
3. समई/दरभंगा-ii
4. संबंधित बिल लिपिक
5. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयू/सम0, अजा0-अजजा0, एवं ओबीसी एशो0/सम0
6. संबंधित कर्मचारी
7. अभिलेख हेतु।

मंडल कार्मिक अधिकारी  
समस्तीपुर